मुख्य परीक्षा

प्रश्न- प्रशासन में आने वाली नैतिक दुविधा से क्या तात्पर्य है? इसकी प्रमुख अवस्थाओं को बताते हुए "साधारण अवस्था परिकल्पना" को विस्तारपूर्वक समझाइए तथा इसके जनहित पर पड़ने वाले प्रभावों को भी बताइए।

(250 शब्द)

What is meant by the moral dilemma in administration? Elaborately elucidate the salient features of 'General Case Hypothesis' and explain its influences on welfare.

(250 Words)

मॉडल उत्तर

- नैतिक दुविधाएँ उन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती हैं, जहाँ नीतिपरक पहलू या आयाम होते हैं। कार्यालयी सामान के लिए ऑर्डर देने में कोई नैतिक प्रश्न नहीं होते। इसी प्रकार किसी होस्टल या पुल के डिजाइन में कोई नैतिक पहलू नहीं होंगे। ये निर्णय लेने के गैर-नैतिक सन्दर्भ हैं। नैतिक दुविधा में वे परिस्थितियाँ शामिल होंगी, जो एक परिस्थिति को नीतिपरक पहलू प्रदान कर देती हैं या उन्हें नैतिक मानदण्ड या मानकों में शामिल करती हैं। न्यायसंगति, ईमानदारी, न्याय, सत्यनिष्ठा, सच्चाई, उदारता इत्यादि नीतिपरक पहलू हैं।

  प्रशासन नैतिक मापदण्डों पर कार्य करने के लिए संरचित किया जाता है क्योंकि प्रशासनिक उद्देश्य नैतिक उद्देश्य होते हैं। लेकिन यही नैतिक प्रशासनिक संरचना कई बार नैतिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती। नियम बनाए तो जनहित के लिए जाते हैं, लेकिन उनका जनहित विरोधी हो जाना एक असामान्य प्रघटना नहीं है। ऐसे में प्रशासक जनहित और नियम के विरोधाभास में फंस जाता है। जनहित रूपी कर्त्तव्य एवं नियम-अनुपालन रूपी कर्त्तव्य का जटिल द्वंद उसके समक्ष होता है। कई बार तो प्रशासक बुद्धिमत्ता से इस नैतिक द्वंद से बाहर निकल आता है, लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जिनमें द्वंद का समाधान संभव नहीं।

  इस संबंध में नैतिक दुविधा की दो अवस्थाएँ हो सकती हैं-

  1. अतिवादी अवस्था
  2. साधारण अवस्था

  इस सन्दर्भ में साधारण अवस्था परिकल्पना के प्रमुख अवयव-

  1. उच्चाधिकारियों के आदेश मानने या न मानने के अलावा तीसरा विकल्प भी उपलब्ध है।
  2. ऐसी परिस्थिति, जिसमें निर्णय को टाला या विलम्ब किया जा सकता है।
  3. निर्णय का किसी निर्दोष की जान पर तुरंत खतरा नहीं है और न ही निर्णय जन अशांति या जन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
  4. प्रशासक नव प्रवर्तक या कुछ नव निर्माण कर सकता है।
  5. नियम को नजरअंदाज कर नैतिक निर्णय लिया जाना, जिसमें जनहित हो।

  विश्लेषण:-

  1. किसी एक अधिकारी द्वारा नियम की अवमानना करने पर अन्य अधिकारी भी नियम तोड़ने को प्रोत्साहित होंगे। यह

आवश्यक नहीं कि दूसरे लोग नैतिक कारणों से नियम तोड़ें।

2. जो अधिकारी नैतिक आधार पर नियम तोड़ रहे हैं, वे भविष्य में भी नियम तोड़ने के लिए नैतिक तर्क ढूँढ़ सकते हैं और आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बार उनका निर्णय उचित हो।

3. यदि प्रशासक नियम तोड़ता है, तो जनता को भी नियम तोड़ने का आधार मिल जाता है, इससे अराजकता फैल सकती है।

4. नियम तोड़ने से प्रशासन में अनुशासनहीनता आती है। विधि, नियम, आदेश इत्यादि का महत्त्व घटते ही प्रशासनिक व्यवस्था टूटकर बिखरने लगती है।

5. चूँकि परिस्थिति साधारण है, इसलिए नियम के महत्त्व को बनाए रखना ही उचित होगा।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार के किसी कृत्य से जनता कठिनाइयों का सामना कर सकती है और उनमें नियम के प्रति नकारात्मकता आ सकती है। जनहित के विरुद्ध लिए गए किसी भी निर्णय के लिए प्रशासन नैतिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसलिए प्रशासक को इस दुविधा से निकलने का रास्ता ढूँढ़ना चाहिए।

ऐसी परिस्थिति में प्रशासक द्वारा दिया जाने वाला प्रतिवेदन सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। जिस पल प्रशासक प्रतिवेदन की प्रक्रिया शुरु करता है, उसी क्षण वह उस नियम के दुष्परिणामों के नैतिक उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है।